न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 07/2023 जिला सीकर

1. पूर्णमल सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाब माली उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी–ग्राम समर्थपुरा सीकर राज0 हाल निवासी सीएम मैरीज गार्डन के पास पिपराली बाईपास चौराहा सीकर राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सुमन देवी पुत्री स्वर्गीय श्री गुलाब माली पत्नि श्री गोपाल लाल सैनी उम्र लगभग 49 वर्ष निवासी ग्राम समर्थपुरा सीकर राज0 हाल निवासी वन्देमातरम चौक राधाकिशनपुरा वार्ड नं. 38 सीकर राज0।
2. तहसीलदार (भू.अ.) सीकर।
3. आयुक्त नगर परिषद् सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.12.2022 द्वारा जिला कलक्टर सीकर बाबत् नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 07.06.2006।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री पवन शर्मा।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री राजाराम चौधरी रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. वकील रेस्पोडेण्ट श्री मनोज श्योराण रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।
4. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –14.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 07.06.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 श्रीमती सुमन देवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष तहसीलदार सीकर द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नं 251, 253, 271/512 एवं 317 कुल रकबा 4.34 है0 ग्राम समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 07.06.2006 को गलत बताते हुये श्रीमती सुमन देवी पुत्री स्व. श्री गुलाब माली पत्नी श्री गोपाल लाल सैनी द्वारा अपील करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 20.12.2022 को अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 07.06.2006 को अपास्त करने के आदेश दिये गये।

3. जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 20.12.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट पूर्णमल सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाब माली द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 20.12.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

Scanned by CamScanner

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नं 251, 253/1, 271, 271/512 एवं 317 कुल रकबा 4.34 है0 ग्राम समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर अपीलांट के पिता स्व0 श्री गुलाब माली के कब्जेकाश्त व खातेदारी की है। अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 12.03.2005 को होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण 317 दिनांक 05.06.2006 को अपीलांट व उसकी माता श्रीमती सिनगारी देवी के नाम विधिवत् तस्दीक किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दिनांक 09.09.2005 से जीवित पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार प्राप्त हुये हैं जिसमें यह स्पष्ट है कि दिनांक 09.09.2005 से पूर्व अन्य उत्तराधिकारी या स्थानान्तरित हो गये उन्हें किसी प्रकार से पुनः खोले जाने की अनुमति नहीं है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उनवान प्रकाश बनाम फूलवती व अन्य में सुनिश्चित किया गया है। चुंकि प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास 12.03.2005 को हो जाने से अपीलांट की बहन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 श्रीमती सुमन देवी को उक्त आराजीयात के संबंध में वारिस नहीं माना जा सकता था एवं इसी आधार पर ग्राम पंचायत कुण्डली ने भी वारिस प्रमाण पत्र अपीलार्थी पूर्णमल सैनी व उसकी माता सिनगारी देवी के हक में नियमानुसार ही जारी किया एवं इसी आधार पर तहसीलदार सीकर द्वारा नामान्तरकरण 317 दिनांक 05.06.2006 नियमानुसार तस्दीक किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 तथा धारा–136 प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2018 को स्थगन आदेश जारी किया गया एवं एक दिवानी वाद जिला जज, सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें भी स्थगन आदेश है उक्त दोनों स्थगन आदेश के प्रभावी होने के बाबजुद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 12 वर्ष बाद पेश की गई अपील में अपीलाधीन आदेश फरमा दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 20.12.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीनी के पिता स्व0 श्री गुलाब माली के कब्जे खातेदारी की भूमि थी। प्रार्थीनी के पिता की मृत्यु उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तरकरण 317 दिनांक 05.06.2006 प्रार्थीनी सुमन देवी, अपीलांट पूर्णमल सैनी व माता श्रीमती सिनगारी देवी के पक्ष में खोला जाना चाहिए था, परन्तु अपीलांट द्वारा अनुचित रूप से अपनी बहन का नाम छुपाकर विरासत का नामान्तरकरण केवल अपने व माता के नाम खुलवा लिया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जीवित पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को अधिकार प्राप्त हुये हैं, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीनी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र धारा– 5 के साथ पेश की गई जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् धारा–5 के साथ स्वीकार कर नामान्तरकरण 317 दिनांक 05.06.2006 को निरस्त कर प्रार्थीनी को सुनवाई का अवसर देते हुये तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित कर दिया जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद गुलाब माली पुत्र श्री भींमा की विरासत को लेकर है। ग्राम समर्थपुरा पटवार हल्का कुडली भू0अ0 निरीक्षण हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर की तन में भूमि खसरा भूमि खसरा नं 251, 253/1, 271, 271/512 एवं 317 कुल रकबा 4.34 है0 ग्राम समर्थपुरा तहसील व जिला सीकर अपीलांट के

Scanned by CamScanner

पिता स्व0 श्री गुलाब माली के कब्जेकाश्त व खातेदारी की है। अपीलांट के पिता गुलाब माली पुत्र श्री भींमा की मृत्यु दिनांक 12.03.2005 को होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण 317 दिनांक 05.06.2006 को अपीलांट पूर्णमल व उसकी माता श्रीमती सिनगारी देवी के नाम तहसीलदार सीकर द्वारा विधिवत् तस्दीक किया गया। तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 05.06.2006 से व्यथित होकर सुमन देवी पुत्री स्व. श्री गुलाब माली पत्नी श्री गोपाल लाल सैनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के यहॉ अपील की गयी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने अपीलान्ट श्रीमती सुमन देवी पुत्री स्व. श्री गुलाब माली पत्नी श्री गोपाल लाल सैनी की अपील स्वीकार कर यह आदेश पारित किये गये है कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता गुलाब पुत्र भींवा माली के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की थी। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण उनके प्रथम श्रेणी के 3 उत्तराधिकारी में पुत्र पूर्णमल, पत्नी सिणगारी एवं पुत्री सुमन अपीलान्ट के पक्ष में खोला जाना चाहिए था, जो कि केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उनकी माता के नाम से नामान्तरकरण खोला गया था, जो विधिसम्मत नहीं है। न्यायालय अपर जिला जज सीकर द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया हुआ है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सीकर द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 317 दिनांक 07.06.2006 ग्राम समर्थपुरा जिला सीकर अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही करें। चुंकि उक्त प्रकरण न्यायालय अपर जिला जज सीकर में विचाराधीन है। अतः उक्त निर्णय न्यायालय अपर जिला जज सीकर के आदेशाधीन रहेगा। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी गुलाब पुत्र भींवा की खातेदारी की भूमि थी। विवादित भूमि का गुलाब पुत्र भींवा निर्विवाद खातेदार था तथा गुलाब की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पंचायत पिपराली ने भी वारिस प्रमाण पत्र जारी करने पर अपीलांट पूर्णमल एवं उसकी माता श्रीमती सिनगारी देवी के हक में तहसीलदार सीकर द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोले गए हैं। अपीलांट पूर्णमल की सगी बहन प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती सुमन देवी ने एक वाद बाबत उद्घोषणा तकासमा जायदाद एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 तथा दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया जिसमें उक्त वाद दिनांक 20.08.2018 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त राजस्व वाद के साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी सीकर ने अपने आदेश दिनांक 27.08.2018 के द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाने के निर्देश दिए गये हैं। उक्त राजस्व वाद के अलावा सुमन देवी ने एक दिवानी वाद भी न्यायालय जिला जज, सीकर में पूर्णमल की खरीदशुदा भूमि पिपराली रोड, समर्थपुरा सीकर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया और उक्त वाद संख्या 381/2018 के रूप में दर्ज किया गया है। जिसमें सुमन देवी ने बंटवारा, हिस्सेदारी इत्यादि के अनुतोष धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एंव धारा 31/34, 38 विशिष्ट अनु. अधि. पेश कर रखा है। सुमन देवी ने एक दीवानी विविध प्रकरण संख्या 53/2018 उनवानी सुमन देवी बनाम पूर्णमल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–4, सीकर में आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश कर रखा है। जिसमें न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–4, सीकर ने दिनांक 20.12.2019 द्वारा आदेश पारित कर रखे हैं कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षों को इस आशय की अस्थाई से पाबन्द किया जाता है कि उभय पक्ष मूल वाद के निस्तारण तक विवादित सम्पत्ति को विक्रय नहीं करें, रहन नहीं रखें एवं अग्रिम अन्तरण, प्रभारण नहीं करें ना ही करावें। प्रकरण में निर्माण एवं हिसाब के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियां मूल वाद के निर्णय के अध्ययनी रहेंगी। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि विरासत के नामान्तरकरण विधिक वारिसान के हक में दर्ज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–4, सीकर ने दिनांक 20.12.2019 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर रखी है कि मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षों को इस आशय की अस्थाई से पाबन्द किया जाता है कि उभय पक्ष मूल वाद के निस्तारण तक विवादित सम्पत्ति को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

विक्रय नहीं करें, रहन नहीं रखें एवं अग्रिम अन्तरण, प्रभारण नहीं करें ना ही करावें। प्रकरण में निर्माण एवं हिसाब के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियां मूल वाद के निर्णय के अध्ययनी रहेंगी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–4, सीकर के स्थगन आदेश दिनांक 20.12.2019 होने के कारण नामान्तरकरण निरस्त नहीं करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विवाद भी बढेगा। उत्तराधिकार का प्रश्न सक्षम न्यायालय से ही निर्णित किया जा सकता है। नामान्तकरण एक Fiscal entry है तथा नामान्तकरण द्वारा स्वामित्व का निर्धारण नही किया जा सकता है। इस प्रकार पक्षकारो के मध्य यदि स्वामित्व का विवाद है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। यदि पक्षकारान के मध्य अधिकारों के निर्धारण हेतु कोई वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो उसके निर्णय अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही होगी। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सुमन देवी ने उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 तथा धारा–136 प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 27.08.2018 को स्थगन आदेश जारी किया गया एवं एक दिवानी वाद जिला जज, सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें भी स्थगन आदेश है उक्त दोनों स्थगन आदेश के प्रभावी होने के बाबजुद भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा 12 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत अपील को अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2022 द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण निरस्त करने में गम्भीर विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि में से कुछ भूमि अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन होने के आदेश को भी नजरन्दाज कर तथा प्रभावित व हितबद्ध पक्षकारों के विधिक अधिकारों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता । परिणामतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 20.12.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 317 दिनांक 07.06.2006 बहाल किया जाता है ।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 20.12.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 317 दिनांक 07.06.2006 बहाल किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/6/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner